न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम	:	मूलचन्द लूणिया, (आर॰ए॰एस॰)
प्रकरण संख्या	:	50 / 2023
दायर दिनांक	:	14.09.2023
निर्णय दिनांक	:	03.03.2025

1. बल्लूराम बैरवा पुत्र नारायणलाल बैरवा जाति बैरवा, निवासी बैरवा मौहल्ला नांगल बैरसी तहसील दौसा जिला दौसा

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा
2. तहसीलदार दौसा जिला दौसा

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज॰ भू–राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज॰ भू–राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर निवेदन किया कि ग्राम नांगल बैरसी तहसील दौसा स्थित भूमि खसरा नम्बर 161, 162, 163, 164, 165 कुल किता 5 कुल रकबा 1.97 है॰ स्थित है, जिसकी खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी व प्रार्थी के भाई दुरगा के नाम दर्ज है। उक्त भूमि प्रार्थी को विरासत में प्राप्त हुयी है। प्रार्थी के पिता नारायण का देहान्त होने के फलस्वरूप उनके स्थान पर प्रार्थी के नाम उक्त आराजी का नामान्तकरण खोला गया जिसमें प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम बल्लूराम बैरवा पुत्र नारायण के बजाय दल्ला पुत्र नारायण अंकित करते हुए खोला जाकर अशुद्ध अंकन कर दिया गया। प्रार्थी का वास्तविक व सही नाम बल्लूराम बैरवा पुत्र नारायण है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रश्नगत आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम दल्ला के स्थान पर बल्लूराम बैरवा अंकित करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती फरमाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गयी। अप्रार्थी तहसीलदार दौसा ने जवाब प्रस्तुत कर प्रश्नगत आराजी में प्रार्थी का नाम दल्ला पुत्र नारायण के स्थान पर बल्लूराम बैरवा पुत्र नारायण जाति बैरवा किया जाना उचित बताया।

प्रकरण में बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी प्रश्नगत आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दल्ला के स्थान पर बल्लूराम बैरवा अंकित करवाना चाहता है। तहसीलदार दौसा ने अपने जवाब में दल्ला के स्थान पर बल्लूराम बैरवा किया जाना उचित बताया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज॰ भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार दौसा को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम नांगल बैरसी तहसील दौसा स्थित भूमि खसरा नम्बर 161, 162, 163, 164, 165 कुल किता 5 कुल रकबा 1.97 है॰ के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम "दल्ला पुत्र नारायण जाति बैरवा" के स्थान पर "बल्लूराम बैरवा पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:39:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

नारायण जाति बैरवा" अंकित किया जावे। तहसीलदार दौसा को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा
उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:39:31 IST
Reason: SelfAttested